न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	29.04.2024	05.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता निवासी शिवालय रोड़ पीपलू जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स खण्डेलवाल किराणा स्टोर शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज0 पिन कोड–304801मो.न. 9462242425
2–मैसर्स खण्डेलवाल किराणा स्टोर शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज. पिन कोड–304801।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv),(v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री विनोद कुमार गुप्ता स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 05.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.02.2024 को समय 11:10 एएम पर मैसर्स खण्डेलवाल किराणा स्टोर शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपराइटर की हैसियत से श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता अपने प्रतिष्ठान पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिले एवं उनको अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर ऑनलाईन आवेदन करना बताया एवं बाद मे आवेदक के कार्यालय में प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में स्टील के एक डिब्बे में लगभग 10–12 किलोग्राम **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिलावट की शंका होने पर श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द गुप्ता को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विनोद कुमार गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में स्टील के एक डिब्बे में लगभग 10–12 किलोग्रम रिफाइड सोयाबीन तेल (खुला) में से स्टील के एक जग में 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** 1600 ग्राम को चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 400–400 ग्राम भरकर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3948 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3948 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/297 दिनांक 18.03.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./672/एक्ट/2024/837 दिनांक 06.03.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं. 2.3.15(1)(b) अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र खुले में विक्रय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv) व (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.07.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक